

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

शुद्धि पत्र

गृह(आरक्षी) विभाग, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-6/योजना-01-1019/2012गृ०आ० 4935, दिनांक-15.07.2015 की कंडिका-2 एवं 3 में अंकित राशि "₹ 1428.00 (चौदह करोड़ अठाईस हजार रू०) "के स्थान पर "₹ 1428.00 लाख (चौदह करोड़ अठाईस लाख रू०) " पढ़ा जाय।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. उक्त स्वीकृत्यादेश में अंकित अन्य बाते एवं शर्तें यथावत रहेगी।

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०:-6/योजना-01-1019/2012गृ०आ०.....5346...../पटना,दिनांक31 जुलाई, 2015
प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य अग्निशाम पदाधिकारी, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amir
सरकार के प्रधान सचिव
30.7.15